न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 32/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. मालाराम पुत्र सांवलाराम जाति माली निवासी बेरा सेदाघर, सिवाना, जिला बाड़मेर (मैसर्स संतोष किराणा स्टोर, सिवाना, जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. सिरेमल पुत्र सांवलाराम जाति माली निवासी उमागढ बेरा, पिपलून रोड सिवाना, जिला बाड़मेर (मैसर्स संतोष किराणा स्टोर, सिवाना, जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 03.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स संतोष किराणा स्टोर, सिवाना, जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक 05.01.2021 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर लाल खुला** जो कि एक कट्टे में लगभग 10 किलोग्राम भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार दो किलोग्राम चार सुटेबल प्लास्टिक के डिब्बे **मिर्ची पाउडर लाल खुला** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1307** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। [illegible] पदार्थ **मिर्ची पाउडर लाल खुला** का नमूना वास्ते जांच खाद्य [illegible] प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **मिर्ची** [illegible] का नमूना **Con[illegible]tion of Regulations No. 2.3.14(15)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित जवाब में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थीगण द्वारा किसी अन्य विक्रेता से क्रय किया जाकर जैसा खरीदा था वैसा ही बेचा जा रहा था। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही न कर यह प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **14.01.2021** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। साथ ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप में जवाब यह प्रकट किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी अन्य विक्रेता से क्रय किया जाकर जैसा खरीदा था वैसा ही बेचा जा रहा था। इससे जाहिर है कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **Contravention of Regulations No. 2.3.14(15)** पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानकं अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये** 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:44 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर